ज्ञापांक 10/म4-12/2003 शि०---108---:
सेकेन्डरी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक

श्री एम० दास
विशेष निदेशक मा०शि० ।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्यूनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 28-2-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता सम्बद्धता/मान्यता इस शर्त के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना होगा :-

1. शताब्दी पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया
2. ए०ए०एम० चिल्ड्रेन्स एकेडमी, कटिहार
3. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, महाराजगंज, केन्दुई एरिया, गया
4. तौहीद एकेडमी, तौहीदनगर, पश्चिम पाली, किशनगंज
5. न्यू एरा पब्लिक स्कूल, छोटी राजपक्की, पीपलपाती रोड, मुंगेर
6. डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, डिहरी, रोहतास
7. डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, शेरघाटी, गया
8. एस०आर०डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
9. सीताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी
10. कमला नेहरु शिशु विहार उच्च विद्यालय, सदाकत आश्रम, पटना
11. मां मैत्रायिणी योगिनी सेकेन्डरी स्कूल, गुण्डी, भोजपुर, आरा

ह०/- अप०:

Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
LAJPAT RAI NAGAR (KAIAH)
DEHRI-ON-SONE

Certified
28.06.04
Principal
D. A. V. Public School

12. स्कूल आफ क्रियेटिव लर्निंग, [illegible], दानापुर, पटना।

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/ एम० दास।
विशेष निदेशक,माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।

3. निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

(क) विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो,

(ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो।

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, जिससे समाज के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच कटुता पैदा हो,

(ङ) सी०बी०एस०ई० मानदंड के अनुसार कक्षाओं में सी०बी०एस०ई० [illegible] के अनुरूप छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

ह०/ [illegible]
विशेष निदेशक,माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक,मा०शि०।

ज्ञापांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक,मा०शि०।